प्रदेश में अब महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के 'बंद दरवाजे'

13 प्रतिबंधित-सीमित क्षेत्रों में काम की छूट देने के लिए बदलेगी नियमावली

Premshanker.Mishra
@timesofindia.com

■ लखनऊ : वार्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 को भारत की जीडीपी को दोगुना करने के लिए महिला वर्कफोर्स की हिस्सेदारी कम से कम डेढ़ गुना वढ़ानी होगी। 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी वनने का लक्ष्य तय करने वाले यूपी पर भी यह वात लागू होती है। इसलिए, योगी सरकार महिलाओं को काम देने के लिए कारखानों के उन 'वंद दरवाजों' को खोलने जा रही है, जिन्हें असुरक्षित वताकर दशकों पहले वंद कर दिया गया था। सरकार यूपी कारखाना नियमावली 1950 में वदलाव कर 13 प्रतिवंधित या सीमित क्षेत्रों में भी महिलाओं के काम-काज का रास्ता वनाएगी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह इसको लेकर वैठक हुई। इसमें महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति, उनके सुरक्षा मानकों, कार्यस्थल पर सुविधाओं और समय-सारणी से जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कैविनेट की अनुमति के वाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूपी कारखाना नियमावली के नियम 109 में उन कामों की सूची दी गई है जिन्हें खतरनाक श्रेणी का माना जाता है।

AI image

कामकाजी हिस्सेदारी

32%	महिला वर्कफोर्स है अभी यूपी में
39%	राष्ट्रीय औसत है अभी महिलाओं का
18%	महिला भागीदारी बढ़ी 7 साल में यूपी में
36.5%	ग्रामीण महिलाएं हैं वर्कफोर्स का हिस्सा
16%	महिलाएं शहरों में कार्यबल में जुड़ीं

(आंकड़े केंद्र के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के)

यहां अभी लगी है रोक

खतरे की आशंका को देखते हुए यूपी कारखाना एक्ट 1950 में ऐसे कामों की सूची अलग से बनाई गई है जहां महिलाओं को काम करने की अनुमति नही है। इसमें प्राइम मूवर या किसी भी ट्रांसमिशन मशीनरी के किसी भी भाग की सफाई भी शामिल है । कॉटन प्रेसिंग में भी महिलाओं की ड्यूटी पर रोक है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिंग, इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर से जुड़े ऐसे काम जहां लेड को रॉ ऑक्साइड के उपयोग से प्रॉसेस किया जा रहा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, खतरनाक पेट्रोलियम से गैस निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल निर्माण, मैटल क्लीनिंग, ब्रॉसवेयर निर्माण आदि से जुड़े कार्यों के अधिकतर हिस्सों में महिलाओं को नियोजित करने पर अभी रोक लगाई है।

वियतनाम मॉडल का भी अध्ययन

एशिया में सबसे अधिक महिला वर्कफोर्स वियतनाम में है। वहां कामकाजी उम्र की महिलाओं की दो-तिहाई कही न कही नियोजित हैं। 15 से 64 आयु वर्ग की लगभग 79% महिलाएं वहां वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। महिलाओं की सहूलियत के हिसाब से यहां नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार वियतनाम के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है कि वहां के किन बिंदुओं को समाहित कर यूपी के प्रस्तावित बदलावों को और बेहतर किया जा सकता है।

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

इसलिए बदलाव की पहल

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि समावेशी विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। कारखानों में भी काम-काज की स्थितियां बदली हैं। आधुनिक मशीनों व तकनीक के इस्तेमाल ने बहुत से काम सहज करते दिए हैं और संभावित खतरों को भी न्यूनतम कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि इन क्षेत्रों को महिलाओं के लिए खोला जाए। इससे पहले रात में महिलाओं को काम करने के लिए शासन से अनुमति की औपचारिकता को भी खत्म किया जा चुका है। उसके लिए बस महिला कर्मचारी की सहमति जरूर होगी। इसी कड़ी में 13 अनुसूचियों में उल्लेखित कार्यक्षेत्रों में भी महिलाओं को काम की अनुमति देने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं।